

Meeng - Chameli 10181

1018 | 36 C.
④ 9. 1061018

रांख्या: ५८८/X-१-१.७/१(२४) / २०१०

—mifq

— 1 —
— 1 —
— 1 —

卷之三

देहरादून: दिनांक: ०२ मार्च २०१८

प्रेषणा,

गुग्गाख चन्दा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा ५

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हरतातरण, इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—४

विषय:- जनपद चमोली के अंतर्गत मींग गधेरे से गड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.794 हेक्टर वन भूमि का ग्रे
वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय.

महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1009 / FP/UK/RGAD/17582/2016, दिनांक 16.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश में सुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संख्या-820 / X.4-16 / 1(244) / 2016, दिनांक 24.10.2016 में अधिरोपित करिपय शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के अंतर्गत मींग गढ़ेरे से गड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.79-1 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- प्रातं बन्धा क उधान प्रदान करा ।

 1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक रिथित में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
 2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संरक्षा अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०रु० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
 4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
 5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथारिथि उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
 6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
 7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को विसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े रथानों पर यथोचित वृक्षारोपण-एवं-10-वर्षों-तक-उसका-रख-रखाव किया जायेगा।
 9. मा० उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को रथानान्तरित किया जायेगा।
 10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनरपतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
 12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल वी आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
 13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथान/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

- प्रेषण
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पथर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
 15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निरस्तारण चिह्नित रथलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के छलान से नीचे/नदी में निरस्तारित नहीं किया जायेगा।
 16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
 17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निरस्तारण एवं परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को रथानात्तरित कर दिया गया है।
 18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
 19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
 20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 588 (1) / X-4-13/1(244) / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० विधायक, थराली, चमोली को मा० विधायक महोदय के सज्जानार्थ द्वारा नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली, चमोली।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सर्वियालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

अन्नप्रसाद
(सत्यप्रकाश रिहं)
उप सचिव।